

नम्बर व त
अहकाम जो
हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम सरदारनगर तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 284/2011 राजस्व वाद

अनवान

1. श्रीमति रामकन्या पुत्री गोविन्दराम लुहार पत्नि शंकर लाल लुहार उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्रीमति सायरी पुत्री गोविन्दराम लुहार पत्नि भैरूलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीगण)

बनाम

1. श्रीमति लाडु बेवा हीरा लाल लुहार उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्रीमति डाली पुत्री श्री गोविन्दराम लुहार पत्नि छोटुलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी गुलाबपुरा श्रीराम मन्दिर के पास, कब्रिस्तान के सामने, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. ओमप्रकाश गिरी पिता गोपाल गिरी उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा-नवीन पक्षकार
5. रवीशंकर गिरी पिता गोपाल गिरी उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा-नवीन पक्षकार

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -

1. वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित
2. प्रतिवादी संख्या 04, 05 स्वयं
3. परोकार सरकार..... विपक्षी कम 03

दिनांक- 25.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम सरदारनगर में वादीगण मय अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 04, 05 तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 25.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहमति से डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम सरदारनगर पटवार क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 1207 किता 2 कुल रकबा 02-08 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

- 1 ओमप्रकाश गिरी रवीशंकर गिरी पिता गोपाल गिरी सा.देह खातेदार (प्रतिवादी संख्या 04, 05)

आ0न0	रकबा	लगान
1493/1	00-14	3-74
कुल 01	रकबा 00-14 बीघा	3.74


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2 रामकन्या सायरी पुत्री गोविन्दराम लुहार सा.देह खातेदार (वादीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
1493	00-14	3-75
1493/3		
कुल 02	रकबा 00-14 बीघा	3.75

3 ओमप्रकाश गिरी रवीशंकर गिरी पिता गोपाल गिरी 1/2, रामकन्या सायरी पुत्री गोविन्दराम लुहार 1/2 सा.देह खातेदार


आ0न0	रकबा	लगान
1493/2	00-03	0-80
कुल 01	रकबा 00-03 बीघा	0.80

4 लाडु बैवा हीरा, रामकन्या डाली सायरी पुत्री गोविन्दराम लुहार के नाम यथावत।


आ0न0	रकबा	लगान
1500	00-17	
कुल 01	रकबा 00-17 बीघा	

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01, 02, 04, 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 4 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01, 02, 04, 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कॅम्प मुकाम सरदारनगर में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।


(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।


उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)